

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पु), मुम्बई - 400 051  
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090  
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture  
and Rural Development  
Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051  
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090  
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं.राबैं.डॉर.जीएसएस/722/एम-  
4/2013-14 27 मई 2013

Ref. No.NB.DoR.GSS/722/AM -4/2013-14  
27 May 2013

परिपत्र सं.121/डॉर.जीएसएस 38/2013

Circular No. 121 / DoR.GSS 38 / 2013

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सभी क्षेत्रीय बैंक / रासकृयावि बैंक / रास बैंक /  
सभी अनुसूचित (प्राइमरी)/ अर्बन  
कोऑपरेटिव बैंक

The Chairman / Managing Director  
All Scheduled Commercial Banks  
All RRBs / SCARDBs / StCBs/  
All Scheduled (Primary) Urban  
Cooperative Banks

प्रिय महोदय

Dear Sir

कृषि विपणन आधारभूत संरचना के विकास /  
और सुदृढीकरण , ग्रेडिंग और मानकीकरण के  
लिए सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम- आदिम जनजातीय  
समूह (पीटीजी) को सहायता

Central Sector Scheme for Development/  
Strengthening of Agricultural Marketing  
Infrastructure, Grading and  
Standardization - Assistance to Primitive  
Tribal Groups (PTGs)

कृपया दिनांक 30 सितम्बर 2008 के हमारे  
परिपत्र सं.180/आईसीडी-39/2008 (पत्र  
सं.राबैं.आईसीडी/ 882/एएमआई-4/2008-09)  
अवलोकन करें जिसमें भारत सरकार द्वारा  
उक्त योजना के मार्गनिर्देश में संशोधन की  
सूचना भेजी गई थी.

Please refer to our circular No.180/ICD-  
39/2008 (letter No.NB.ICD/882/AMI-  
4/2008-09) dated 30 September 2008  
advising the revision in the guidelines of  
the above scheme by Gol.

2. विपणन और निरीक्षण निदेशालय  
(डीएमआई), प्रधान कार्यालय ने अनुदेश  
दिया है कि अनुसूचित जनजातीय राष्ट्रीय  
आयोग (एनसीएसटी) की अनुशंसा के  
अनुसार आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी)  
को कृषि विपणन संरचना, ग्रेडिंग और

2. DMI, Head Office has since instructed  
that assistance to Primitive Tribal  
Groups (PTGs) may be provided under  
AMIGS scheme as per the  
recommendations of the National  
Commission for Scheduled Tribes(NCST).

मानकीकरण योजना के अंतर्गत सहायता दी जाये. विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदिम जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाती की परिधि में शामिल किया जाये और अनुसूचित जनजाती श्रेणी से लिये जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण ही पीटीजी श्रेणी के अंतर्गत ऋणकर्ताओं से भी लिया जाये. चूंकि पीटीजी के लिए अलग रिकार्ड / आंकड़े रखने होंगे, पीटीजी के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाती लाभार्थियों की श्रेणी को सब्सिडी हेतु आवेदन में अलग से विनिर्दिष्ट करें ताकि इस संबंध में हम आंकड़े इकट्ठा कर सकें.

3. कृपया आप अपने सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों / शाखाओं में उक्त मार्गनिर्देशों का परिचालन करें.

भवदीय

पद्मा रघुनाथन

(पद्मा रघुनाथन)

महाप्रबंधक

It has also been clarified by DMI that the Primitive Tribal Groups (PTGs) are covered within the ambit of Scheduled Tribes(STs) and therefore the same documentary proof as obtained for ST category may be obtained by the banks to consider the borrower under PTG category. Since separate record/data has to be maintained for the PTGs, the category of the beneficiary in Scheduled Tribe belonging to PTGs may be indicated separately in the application form for subsidy to enable us to capture the data in this regard.

3. You may please circulate the above guidelines to all your Controlling offices/branches.

Yours faithfully

Padma

( Padma Raghunathan)  
General Manager

संदर्भ सं.राबैं.डॉर.जीएसएस/724/एम-4/2013-14  
तददिनांक


Endt. No.NB.DoR.GSS/ 724 /AM -  
4/2013-14 of date


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित

Copy forwarded for information to

1. अध्यक्ष के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड,  
प्रधान कार्यालय, मुंबई.
2. कार्यपालक निदेशक के कार्यपालक  
सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई.
3. मुख्य महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय के  
सभी विभाग.
4. निदेशक, बर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
5. संयुक्त निदेशक, बर्ड, बोलपुर, पश्चिम  
बंगाल.
6. संयुक्त निदेशक, बर्ड, मंगलूर, कर्नाटक.
7. मुख्य महाप्रबंधक/प्रभारी अधिकारी, सभी  
क्षेत्रीय कार्यालय. उनसे अनुरोध है कि वे  
पीटीजी के लिए अलग से रिकार्ड/आंकड़े रखें.

1. EA to Chairman, NABARD, HO,  
Mumbai
2. EA to ED, NABARD, HO,  
Mumbai
3. CGMs, All HO Departments
4. Director, BIRD, Lucknow, Uttar  
Pradesh
5. Joint Director, BIRD, Bolpur,  
West Bengal
6. Joint Director, BIRD,  
Mangalore, Karnataka
7. CGM/OICs of all ROs with a  
request to maintain separate  
record /data for the PTGs

  
(बी.बी.सेठी)  
उप महाप्रबंधक

  
(B B Sethi)  
Dy General Manager